न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

अनुसूची-14 फारम : 562

कैलाश साव वगै० ....प्रथम पक्ष

बनाम

जनम नायक उर्फ गिरधारी नायक वगै० ....द्वितीय पक्ष

वाद संख्या........95/21........ धारा......144........द०प्र०सं०

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० क. ता0..से.......................................तक

जिला..सं0...सन् 20.........

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
06/07/21	धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही/नोटिस मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी.......बगोदर.......के पत्रांक 503 दिनांक....22/06/21.........के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोक जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक ....22/07/21........को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा- दादा, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह खाता सं०- 16, प्लॉट सं०- 250, 2086, 2468 रकबा - 33 डी०, 62 डी० एवं 79 डी० चौहद्दी उ०- लखन दास, द०- जंगल परती पू० - चोलवा कुरमी, प०- जंगल परती लेखांकित अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया	

आदेश की क्रम सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
22.07.2021	~~अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित।~~ To 5/08/21 [signature] 22/7	
05/08/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुप। To 26/08/21 [signature] 5/08	
26/08/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। To 2/09/21 [signature] 26/08	
02/09/21	प्रथम पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा कारण दर्शा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा 145 crpc में Convert की मांग की गई है। आदेशार्थ [signature]	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश प्रथम पक्ष को सुना। द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित है। किसी प्रकार शान्ति भंग या विधि व्यवस्था की समस्या होने की सूचना नहीं है। अतः कालबाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अवाम	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.10.05 13:10:40 +05:30
Location: 192.168.43.238